Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 16, Issue No. 1, January-2019, ISSN 2230-7540

भारत में केन्द्र राज्य संबंन्धः तनाव के कारण व सुझाव

Naseeb*

M.Phil. Scholar, Department of Political Science, MDU Rohtak

मुख्य शोध सारः- भारतीय संविधान अपने स्वरूप में संघीय है। समस्त शक्तियाँ जैसेः-विधायी, कार्यपालक एवं वित्तीय केंन्द्र व राज्यों के मध्य विभाजित है। यद्यपि न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं है। संविधान में एकल न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की गई है। जो केंद्रीय कानूनों की तरह राज्य कानूनो को भी लागू करती है। तथापि संघीय तंत्र के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इनके मध्य अधिकतम सहयोग व सहभागिता आवश्यक है। केंन्द्र व राज्यों के बीच अनेक क्षेत्रों में तनाव देखें जाते है। जो संघात्मक शासन के लिए गंभीर चुनौती है। केन्द्र व राज्य दोनों संविधान से शक्तियां ग्रहण करते है। ये दोनों अपने-अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र है। परंन्तु फिर भी शक्तियों के प्रयोग के दौरान कुछ तनाव उभर आते है। जिनका समुचित समाधान जरूरी है। ताकि केन्द्र व राज्य संबंध सुचारू रूप से संविधान के अनुसार क्रियाशील होते रहें।

मुख्य शब्दः- भारतीय संघवाद, संविधान, शक्तियों का बटंवारा, अंतर्राज्यीय परिषद्, निर्वाचन, दलबंदी, असहयोग, राजनीति आदि।

----------X----------

केन्द्र-राज्य संबंध

भारत एक संघात्मक राज्य है। भारतीय संविधान के भाग-1 में भारत को 'राज्यों का संघ' कहा गया है। किन्तु भारतीय संघवाद विद्वानों के लिए एक प्रश्न चिहन् बना हुआ है। इसका कारण यह है कि भारतीय संघ अपनी प्रकृति में अनोखा है। इसके अनेक रूप देखने को मिलते है। समय व आवश्यकता के अनुसार यह अपने स्वरूप में शिथिल व कठोर हो जाता है। शांतिकाल में संघवाद प्रभावी रहता है तो आपातकाल में यह एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेता है। केन्द्र के अलग-अलग राज्यों के साथ समयानुसार अलग-अलग प्रकार के संबंध हो सकते है। भारत के संविधान ने एक शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार की स्थापना की है। केन्द्र - राज्य संबंधो के प्रत्येक क्षेत्र में केन्द्र की प्रधानता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व प्रान्तीय सरकारे केन्द्र की अधीनस्थ संस्थाऐं मात्र थी। यद्यपि आज यह स्थिति नहीं है तथापि केंदीयकरण का प्रमाण स्पष्ट है। फिर भी राज्यों की स्थिति नगरपालिकाओं जैसी नहीं है। वे अनेक दृष्टियों से प्रभावशाली है। स्वतंत्र भारत का इतिहास बताता है कि राज्यों के समुचित सहयोग पर केन्द्र की शक्ति निर्भर है। केन्द्र व राज्यों के मतभेद को सदैव विचार विमर्श द्वारा सुलझा लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग-12 में केन्द्र-राज्य संबंधो का स्पष्ट वर्णन है। संविधान के भाग- 12 में ए 245-255 तक विधायी संबंध, भाग-12 में ए 264-300 क तक वित्तिय संबंधो का वर्णन है। भारतीय संविधान की 7वी अनुसूची में केन्द्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बटवारा किया गया है। शक्तियों का बँटवारा सुचियों के अनुसार निम्न हैः-

1. संघ सूची
2. राज्य सूची
3. समवर्ती सूची

संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल है। जिनकी संख्या पहले 97, लेकिन अब 100 है। राज्य सूची पर सामान्य स्थिति में कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानसभाओ को है। इसमें क्षेत्रीय महत्व के विषय शामिल है। जिनकी संख्या पहले 66, लेकिन अब 61 है। समवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों में केन्द्र व राज्यों को समान रूप से कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन मतभेद की दिशा में केंद्र का कानून प्रभावी होगा। पहले 47 विषय लेकिन अब 52 विषय शामिल है। इस प्राकार शक्तियों का बटवारा किया गया है। जिस कारण केन्द्र अधिक शक्तिशाली है। भारतीय संविधान संघात्मक व्यवस्था में कनाड़ा के अधिक समीप है। क्योकि इसमें शक्तिशाली केन्द्र के साथ संघ की व्यवस्था की गई है। केन्द्र-राज्य संबंधो में विधायी, वित्तीय व न्यायिक सभी क्षेत्रों में केन्द्र, राज्यों के बजाए आधिक शक्ति संपन्न है।

www.ignited.in

केन्द्र-राज्य संबंधो पर गठित आयोग:-

केन्द्र व राज्य संबंधो की समीक्षा करने के लिए समय समय पर केन्द्र व राज्यों द्वारा अनेक आयोग व समितियाँ गठित की गई है। जिनमें से अधिकांश ने शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार का समर्थन किया है। कुछ समितियाँ निम्न है।:-

1. प्रशासनिक सुधार आयोग (1966-1969)
2. राजमन्नार समिति (1969-1971)
3. सरकारिया आयोग (1983-1987)
4. पुंछी आयोग (2007-2010)

केन्द्र व राज्य संबंधों में तनाव के कारण:-

केन्द्र-राज्य संबंधों को प्रभावित करने में दलीय प्रणाली या स्वरूप की महत्वपूर्ण भूमिका रहीं है। जब तक केन्द्र व राज्यों में एक ही दल की सरकारें रही, केन्द्र-राज्य संबंध मधुर रहें, जब भी केन्द्र व राज्यों में भिन्न-भिन्न दलों की सरकारे रही, केन्द्र व राज्य संबंधो में संघर्ष व तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। 1967 के बाद यह स्थिति कायम नहीं रही व राज्यों में अन्य दलों ने सत्ता हासिल की । जिस कारण केन्द्र व राज्य संबंधो में तनाव के कारण उत्पन्न हुए। केन्द्र व राज्य संबंधो में तनाव के कारण निम्न हैः-

1. तनाव के सांविधानिक कारण

समय-समय पर केन्द्र व राज्यों में उभरने वाले सांविधानिक कारण निम्न है।

- भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन केन्द्र के पक्ष में अधिक है। संघ सूची व समवर्ती सूची में केन्द्रीय कार्यपालिका व व्यवस्थापिका को इतने अधिक अधिकार प्रदान किए गए है कि राज्यों की स्वायत्ता पर काफी हद तक आंच आ जाती है। 1969 में तमिलनाडु सरकार द्वारा नियुक्त राजमन्नार समिति ने भी सिफारिश की थी कि संघ सूची व समवर्ती सूची में से कुछ शक्तियाँ निकाल कर राज्य सूची में डाल देनी चाहिए।
- राज्य मंत्रीमंडल प्रायः यह अनुभव करते है कि उनकी विधायी व प्रशासनिक शक्तियां इतनी सीमित है कि उन्हें अपने निर्णयों के कार्यान्वयन में केन्द्र का मूँह ताकना पड़ता है। जब केन्द्र व राज्यों में एक ही दल की सरकार हो तो समस्या प्रबल नही हो पाती, लेकिन विपरीत अवस्था में तनाव प्रायः बढ़ जाता है।
- ऐसे भी आरोप लगाए जाते है कि केन्द्र जिन राज्यों से अप्रसन्न होता है उसके साथ राजस्व वितरण या सहायता देने में पक्षपात करता है। उदाहरणार्थः- बंगाल, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि का यहीं आरोप रहा है कि सरकार उन्हे संग्रहित राजस्व का पूर्ण भाग नही देती।
- केन्द्रीय सरकार की भी यह शिकायत रही है कि कुछ राज्य सरकारें संविधान प्रदत शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार करती है कि केंद्रीय सरकार की सामाजिक न्याय और प्रगतिशील नीतियों के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है।

2. तनाव के व्यावहरिक कारण

केन्द्र-राज्य संबंधो में तनाव के लिए व्यावहारिक कारण भी उत्तरदायी रहे है। जिनका वर्णन निम्न हैः-

- केन्द्र-राज्य संबंधो की प्रकृति बहुत हद तक इस बात पर निर्भर है कि केन्द्र या राज्य सरकारें एक-दूसरे के प्रति कितना कठोर व लचीला रूख रख सकते है। दोनों ही सरकारों के आचरण पक्ष पर केन्द्र-राज्य संबंधो का स्वरूप निर्भर करता है।
- कोई नया कारखाना खोलने तथा बिजली व सिचाई के लिए पानी के विभाजन के प्रश्नों के पर यदा-कदा तनाव पैदा होते है। नदियों के पानी के बँटवारे के प्रश्न पर विवाद उग्र रूप धारण कर लेते है।
- कुछ राज्य सरकारों का आरोप रहा है कि उनके आर्थिक विकास के लिए आवश्यक पूंजी जुटाने में केन्द्र सरकार का समुचित सहयोग नही मिलता। उदाहरणर्थ केरल सरकार प्रायः इस प्रकार की शिकायत करती रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे होने पर भी केरल के औद्योगिक विकास के प्रति केंद्रीय सरकार उदासीन रही है।

3. तनाव के राजनीतिक करण

केन्द्र व राज्य केंद्रीय सरकारें राजनीतिक रूप से भी एक-दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रही है। जिन्हे निम्न रूप में रखा जा सकता है:-

www.ignited.in

- केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा कितनी ही बार एक-दूसरे पर संकीर्ण दलबंदी की भावना के आरोप लगाए जाते रहें है। केन्द्र में कांग्रेसी शासन के समय जब भी प्रायः यही आरोप रहा है कि केन्द्र राज्य सरकार को गिराने या नीचा दिखाने को प्रयत्नशील है। दूसरी ओर केन्द्र का यह आरोप रहा कि राज्य सरकार केन्द्र के साथ असहयोग की राजनीति खेल रही है।

- कुछ विपक्षी दल क्षेत्रीय सांप्रदायिक भावनाओं की मदद से जनता में लोकप्रिय होना चाहते है। क्षेत्रीय स्तर पर निर्वाचन में सफलता प्राप्त करने के लिए केन्द्र और राज्य के बीच में तनाव पैदा करते है। कुछ वामपंथी दल, जिनकी लोकप्रियता कुछ क्षेत्रों तक सीमित है। निर्वाचन नीति के रूप में भी केन्द्र के विरूद्ध राजनीतिक प्रचार करते है।

केन्द्र-राज्य मतभेदों को दूर करने संबंधी कुछ सुझाव

संविधान विशेषज्ञों, राजनीतिक टीकाकारों, समीक्षकों,विरोधी दलों, गैर-कांग्रेसी राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र - राज्य मतभेदों को दूर करने की दिशा में मुख्यतः निम्न सुझाव दिए जाते रहे हैः-

1. भारतीय संविधान स्वरूप में संघात्मक किन्तु आत्मा से एकात्मक है। अतः असे आत्मा से भी संघात्मक बनाया जाए। इसके लिए आवश्यक है कि समवर्ती सूची के कुछ विषयों को राज्य सूची में शामिल किया जाए।

2. राज्यों को कुछ लचीले वित्तिय स्त्रोत प्रदान किए जाएँ ताकि उनकी आय बढ़ सके। इस दिशा में कुछ कदम उठाए गए है। लेकिन अभी इस संबंध में बहुत कुछ किया जाना शेष है।

3. वित् आयोग को स्थायी संस्था के रूप में परिवर्तित किया जाए। इस आयोग का परामर्श केन्द्र के लिए बंधनकारी होना चाहिए।

4. नीति आयोग को स्पायत् सांविधानिक स्तर प्रदान किया जाए।

5. अनुच्छेद 263 के अनुसार अंतर्राज्यीय परिषद् की स्थापना की जाए जो राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य करें।

6. केन्द्र राज्य सूची के विषयों में कतई हस्तक्षेप न करें। राज्य सूची के विषयों संबंधी कार्यक्रम लागू करने व उन पर धन व्यय करने आदि का पूरा उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर रहें।

7. अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी राज्य सेवा में रहें उन पर पूरा नियंत्रण राज्य सरकार का हो।

8. राज्यों की आर्थिक समस्या को सुलझाने के लिए भी एक स्थायी किन्तु गैर-राजनीतिक समिति गठित की जाए जो केन्द्र व राज्यों के मध्य आर्थिक समन्वय का कार्य करें।

9. किसी व्यक्ति को केवल एक बार ही राज्यपाल नियुक्ति किया जाए। रिटायर होने पर उसे न तो लाभ का पद दिया जाए व न ही राजनीति में भाग लेने के लिए छोड़ा जाए।

10. राष्ट्रपति के परामर्श पर राज्यपालों, न्यायाधीशों, नीति आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हो ।

निष्कर्ष: -

एक संघात्मक व्यवस्था में जहाँ केन्द्रीय और राज्य सरकारों का अस्तित्व है। वहाँ कुछ न कुछ मतभेदों का बना रहना स्वाभाविक है। अतः प्रयत्न इस दिशा में यह होना चाहिए कि केन्द्र यथापूर्व शक्तिशाली बना रहें तथा राज्यों में भी अंसतोष न हो सकें। सरकारिया आयोग ने भी 'सुदृढ केन्द्र' की अवधारणा पर बल दिया है। भारत की एकता व अखडता की सुरक्षा के लिए केंन्द्र का सुदृढ होना आवश्यक है। इस संघ में केन्द्र आधिक शक्तिशाली है। फिर भी राष्ट्र हित में केन्द्र का अधिक शक्तिशाली होना जरूरी है। फिर भी राष्ट्र हित में संघ में केन्द्र को दुर्बल बनाते हुए राज्यों की स्वायŸता की बात स्वीकारी नहीं जा सकती। देश की एकता व अंखडता के लिए शक्तिशाली केन्द्र का होना ही अधिक प्रांसगिक है। स्वयतता के प्रकार की बात स्वीकारी नही जा सकती है।

संदर्भ सूची:-

1. शर्मा, हरिश्चन्द्र: "भारत में राज्यों की राजनीति" कॉलेज बुक डिपो, राजस्थान।

www.ignited.in

2. सिन्हा, मनोज (2012). "समकालीन भारत: एक परिचय" आरियंट ब्लैकस्वान प्रा॰ लिमिटेड, हैदराबाद।

3. लक्ष्मीकांत, एम. (2017). भारत की राजव्यवस्था" मैकग्राहिल एजुकेशन प्रा. लिमिटिड, नई दिल्ली

4. प्रसाद, वीरकेश्वर (2016). "भारतीय राजनीतिक व्यवस्था" ज्ञांनदा प्रकाशन, नई दिल्ली।

5. जैन, पुखराज (2001). "भारतीय शासन एवं राजनीति" साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा।

Corresponding Author

Naseeb*

M.Phil. Scholar, Department of Political Science, MDU Rohtak

naseebgulia.ng@gmail.com